(137)

कार्यालय नगर पंचायत शेरघाटी (गया)

पत्रांक 225 दिनांक 05/09/2014

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, शेरघाट (गया)।

सेवा मे,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– प्रधान महालेखाकार अंकेक्षण बिहार के प्रतिवेदन सं०–406/2007–2008 के आपत्तियों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित कंडिकाओं का अनुपालन किया गया जो **निम्नप्रकार** है :–

आपत्ति	अनुपालन
01– कंडिका–06ः– **वार्षिक** आय व्यय लेखा नगर पंचायत के **द्वारा** तैयार नहीं किया गया।	रोकड़पंजी के शेष एवं पासबुक के शेष की अन्तर की राशि 82793/– रूपये के मिलान कर लिया गया है जो अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
02–कंडिका–07ः– बजट के संबंध मे आपत्ति।	नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 71(1) के बजट के संबंध में अगले वर्ष से अनुपालन कर लिया गया है।
03–कंडिका–08ः– आंतरिक लेखा परीक्षा।	इसका अनुपालन कर लिया गया है।
04–कंडिका–09ः– सरकारी अनुदान।	अनुदान पंजी का वर्षवार संधारण कर लिया गया है।
05–कंडिका–10ः– सरकारी ऋण।	इसका अनुपालन किया जा रहा है।
06–कंडिका–11ः– अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के संबंध में।	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क से प्राप्त राशि का लेखा तैयार कर लिया गया है जिसे पंजी में संधारण कर लिया गया।

07–कंडिका–12:–11वीं वित्त आयोग की राशि जमा करने के संबंध में।	योजना 05/03–04 की राशि मो० 7500–/ (सात हजार पाँच सौ) रूपये जमा करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 746 दिनांक 08/12/2010 एवं ज्ञापांक 87 दिनांक 10/02/2011 के द्वारा समिति कोष में जमा करने हेतु नोटिस किया गया है।
08–कंडिका–13	सरकार के आदेशानुसार लेखाओं का संधारण डबल इन्ट्री प्रणाली से कराने की कारवाई की जा रही है।
09–कंडिका–14:–स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना।	वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में योजना का चयन नहीं किया गया था क्योंकि राशि उपलब्ध नहीं था, सरकार के निदेशानुसार सामुदायिक संरचना शीर्ष की राशि से अधिक व्यय विकास मद में की गयी।
10–कंडिका–15:– राषट्रीय गंदी बस्ती कार्यकम योजना।	कुल आवंटन का 10 प्रतिशत की राशि स्लम क्षेत्रों में आवास निर्माण पर खर्च किया गया इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
11–कंडिका–16:–	कार्य पूरा करा लिया गया है इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
12–कंडिका–16(ii):–	अभिकर्ता के मापी पुस्तिका से अधिक राशि अग्रिम के रूप में दिया गया था जिसके अनुसार योजना में कार्य कराकर अग्रिम सामंजित करा लिया गया है।
13–कंडिका–17:– बी० एल० रोकड़ बही।	इसका अनुपालन किया जा रहा है।
14–कंडिका–18:–	अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।
18(ii):–	तदैव
15–कंडिका–19:– नगर पंचायत निधि का वासकरण।	इसके अनुपालन की कारवाई की जी रहा है।
16–कंडिका–20:–	अनुपालन की जा रही है।
17–कंडिका–21:– बकाया दुकान किराया।	इसका अनुपालन कर लिया गया है।
18–कंडिका–22:–खाद्य अनुज्ञप्ती शुल्क बकाया।	वसूली हेतु कारवाई की जा रही है।
19–कंडिका–23:–खतरनाक एवं भयावह व्यापार की बकाया।	खतरनाक लाइसेंस से बकाया राशि 12121/– रूपया वसुल कर ली गई।
20–कंडिका–23(ii):–	संशोधित दर पर वसूली हेतु कारवाई की जा रही है।

21–कंडिका–24:– ट्रांसमिशन टावर शुल्क केबुल बकाया।	राशि की वसूली की गई है शेष राशि की वसूली हेतु कारवाई की जा रही है।
22–कंडिका–25:– सैरातों की बंदोबस्ती।	परवेज आलम से 21000–/ रूप्ये की वसूली की गई है शेष राशि 23500–/ की वसूली हेतु कारवाई की जा रही है एवं असमत अली टून के द्वारा 12000–/ रूप्ये की राशि जमा की जा चुकी है।
23–कंडिका–26:– कम जमा	राशि जमा करा लिया गया है।
24–कंडिका–27:– विविध रसीद अंकेक्षण मं प्रस्तुत नहीं किया गया।	कंडिका 27 मे अनुसार 29601 से 29700 तक रसीद का मो०–329848–/ रूप्या दिनांक 03/12/2007, 14/02/2008 एवं 04/03/2009 को समिति कोष से जमा करा लिया गया है। अतएव इसे विलोपित किया जाए।
25–कंडिका–28:– शिक्षा कर एवं स्वास्थ कर को सरकी खाते में जमा नहीं किया जाना है।	जमा करने हेतु कारवाई की जा रही है।
26–कंडिका–29(i):– अधिक भुगतान।	योजना सं०–09/03–04 में मो०–3770/–रू० अधिक अग्रिम भुगतान किया गया था जिसे रसिद सं०–52025 दिनांक 31/07/2008 के द्वारा मो०–3770/– रू० समिति कोष में जमा करा लिया गया है।
कंडिका–29(ii):–	वसुली हेतु कारवाई की गयी।
कंडिका–29(iii):–	29651/– रू० वसुली हेतु कारवाई की जा रही है।
कंडिका–29(iv):–	46938/– रू० वसुली हेतु कारवाई की जा रही
कंडिका–29(v):–	वसुली हेतु कारवाई की जा रही है।
27–कंडिका–30:– दैनिक वेतन भुगतान।	नगर पंचायत शेरघाटी के अर्न्तगत सृजित पद 09 है जिसके कारण कार्य संभव नहीं हो पाता है। तदनुसार समिति से स्वीकृती लेकर दैनिक वेतन भुगतान पर मजदुरों को रखकर समिति का कार्य कराया गया। अतः व्यय की गयी राशि मो०–956310/– रू० को अंकेक्षण आपत्ति से निरस्त करने की कृपा की जाए।
28–कंडिका–31:–	योजना की अग्रिम राशि मो०–5356435–/ रू० को कार्य कराकर समायोजन कर लिया गया है, इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर अंकित अंकेक्षण आपत्तियों को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत शेरघाटी (गया)

ज्ञापांक 224 दिनांक 05/09/2014

प्रतिलिपिः— सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/9/14

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत शेरघाटी (गया)